

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 142/2018

RCMS Case No. 2018/00175

प्रार्थी :-  
सरकार जरिये तहसीलदार रानी

बनाम

अप्रार्थी:-  
1. दलीदेवी पत्नी रूपाराम जाति मेघवंशी  
निवासी सिवास तहसील रानी

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी का पति रूपाराम स्वयं उपस्थित

-:: आदेश ::-

दिनांक 24/05/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार बाली द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सिवास तहसील रानी के खसरा नम्बर 419 रकबा 1.48 हेक्टेयर किस्म बा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी के पति रूपाराम को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 102 के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 नाला थी, जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतः ग्राम सिवास के नामान्तरकरण संख्या 438 को निरस्त कराने हेतु धारा 102 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि तहसीलदार पाली अप्रार्थी के पति रूपाराम के हक में सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर एवं विधि अनुरूप आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित आराजी पर अप्रार्थी ने लाखों रुपये लगाकर कृषि योग्य बनाया है तथा उस पर कृषि कार्य के उपयोग में ले रहा है। तहसीलदार रानी ने द्वारा आवेदन में तथ्यों को छुपाकर एक प्रिन्टेड प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों को भर कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जैर आराजी भूमि माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों के तहत आने वाली भूमि में से भिन्न है तथा इससे संबंधित नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं इनके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेजात् के अभाव में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम सिवास तहसील रानी के हाल खसरा नम्बर 419 रकबा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

1.48 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 217/13मी., 217/14मी., नाला है। उक्त भूमि तहसीलदार देसूरी द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 102 के जरिये अप्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 217/13मी., 217/14मी. की किस्म नाला थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी/नाला/वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आवंटन नियमों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर नाला दर्ज किया जाना है। अतः तहसीलदार देसूरी द्वारा अप्रार्थी के पति के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार देसूरी के आदेश क्रमांक/672 दिनांक 01.07.1965 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम सिवास तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 102 को निरस्त करावे।



(भागीरथ बिश्नोई)  
अति.जिला कलेक्टर,पाली